[illegible]/19

9.5.19 [illegible]

20/5/19 [illegible]

सहायक कलक्टर
[illegible]

17/6/19 प्रकरण में पेश हुई। नकील प्रार्थी गण उपस्थित अप्रार्थीगण को डाक से अपने वकिलों मार्फत नोटिस भेजे जाने के उपरांत भी के अनुपस्थित रही। इनके न्यायालय द्वारा में समय-समय पर आमंत्रित नहीं की परन्तु न तो स्वयं और न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आये। जिससे इनके विरुद्ध अन्तिम एकपक्षीय कार्यवाही अन्तिम में करि जाती है।

नकील प्रार्थीगण की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। नकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का काश्तकारी भूमि में अपने पैतृक हिस्से की भूमि में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का केवल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे हिस्से की भूमि की राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु का स्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाने की

उपरोक्त प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण काश्तकार है। इस प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा काश्त किया जा रहा है। मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाने है। अतः प्रार्थना निरस्तकर दावा रेकॉर्ड [illegible] प्रार्थीगण [illegible] अपील में [illegible] है कि [illegible] ग्राम [illegible] में [illegible] है [illegible] 1519 [illegible] 1551 [illegible] 1.14 [illegible] कुल रकबा [illegible] है [illegible] राजस्व रेकॉर्ड में [illegible] जाने हेतु [illegible] रहेगी। निस्तारित [illegible] के साथ [illegible] निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर
[illegible]

Scanned by CamScanner